



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एन.-अ.-28102020-222784
CG-DL-E-28102020-222784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3401]
No. 3401]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का. आ. 3854(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 8 अगस्त, 2018 संख्या का.आ.-3942(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2018 तारीख 8 अगस्त, 2018 का अधिकांत करते हुए उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुंशिफ न्यायालय संख्या 3-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कामरूप (एम) गुवाहाटी को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ असम, नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[तारीख 28-10-2020 की अधिसूचना संख्या 86/2020/फा.स. 285/09/2018-आईटी (अन्वेषण-V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी)(जांच)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Investigation Division-V)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

S.O. 3854(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2018 dated the 8th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3942(E), dated the 8th August, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the Gauhati High Court, hereby designates the Court of Munsiff No. 3-cum-Judicial Magistrate, 1st Class, Kamrup (M), Guwahati as the Special Court for the States of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh for the purposes of the said sub-section.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 86/2020 dated 28-10-2020/F. No. 285/09/2018-IT(Inv.V) CBDT]

DEEPAK TIWARI, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.)